न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) नजीबाबाद, जिला बिजनौर।

मूलवाद सं0 250 / 2024

अ0 कय्यूम बनाम शमशाद आदि।

दि0 08.04.2025

पत्रावली आदेशार्थ नियत है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र ग–6 व आपत्ति ग–29 पर सुना जा चुका है तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र ग–6 व आपत्ति ग–29 :–

प्रार्थनापत्र 6–ग वादी की ओर से अन्तर्गत आदेश–39, नियम–1 सी.पी.सी. मय शपथपत्र इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि वादी ने वाद वास्ते हुक्म इम्तनाई दायर किया है जिसमें पूर्ण आशा सफलता की है। आराजी भूमिधरी जिनका विवरण वाद पत्र के अन्त में दिया गया है, वाके ग्राम जगदीशपुर पगना, अकबराबाद, तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर के मालिक एवं काबिज वादी व प्रतिवादीगण के पिता श्री रहमतुल्ला थे। वादी के पिता श्री रहमतुल्ला अपने सभी लड़कों से समान तौर पर लगाव रखते थे। प्रतिवादीगण वादी के सगे भाई हैं। प्रतिवादीगण ने श्री रहमतुल्ला के द्वारा निष्पादित दर्शायी पंजीकृत वसीयत दिनांकित 05.02.2023 के आधार पर अपने नाम का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में करा लिया है। रहमतुल्ला पुत्र करीमुल्ला वादी के सगे पिता थे। नामांतरण वाद के संबंध में वादी के मृतक के सगे पुत्र होने के बावजूद वादी को कोई सूचना किसी प्रकार की नहीं दी गई। वादी कम पढा लिखा व्यक्ति है तथा अपने भाईयों पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था। वादी के भाईयों (प्रतिवादीगण) ने वादी के साथ विश्वातघत किया तथा अपना नाम तथाकथित वसीयत के आधार पर दर्ज करा लिया। वादी ने जब उक्त आराजी की फर्द खतौनी दिनांक 02.05.2024 को प्राप्त की तो उसका नाम फर्द खतौनी पर नहीं था। उसके बाद वादी ने राजस्व अभिलेखागार में निरीक्षण कराया तो दिनांक 01.06.2024 को फसली वर्ष 1417–1422 की फर्द खतौनी की प्रतिलिपि मिलने पर पता चला कि दिनांक 25.11. 2009 को किसी वसीयत के आधार पर रहमतुल्ला पुत्र करीमुल्ला के स्थान पर प्रार्थी के भाईयों प्रतिवादीगण का नाम दर्ज करा दिया गया है, इससे पूर्व वादी को इस आदेश की जानकारी किसी प्रकार की नहीं थी। वादी ने एकपक्षीय आदेश दिनांक 25.11.2009 को रेस्टोर कराने के लिए न्यायालय नायब तहसीलदार अकबराबाद में वाद योजित कर रखा है। इस वाद की जानकारी होने पर प्रतिवादीगण उक्त आराजी को किसी तृतीय पक्ष को बेचकर उसका कब्जा कराना चाहते हैं। यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद नाजायज में कामयाब हो गये तो वादी की अपार हानि होगी, जो किसी भी तरीके से पूरी न हो सकेगी। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के विरूद्ध दौरान वाद हुक्मइम्तनाई जारी होना अत्यन्त आवश्यक है। वादी का प्रथम दृष्टया वाद है तथा सुविधा का सिद्धांत भी वाद के पक्ष में है। अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादी के विरूद्ध दौरान वाद हुक्म इम्तनाई इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वह आराजी भूमिधरी जिनका विवरण वाद पत्र के अन्त में दिया गया है, वाके ग्राम जगदीशपुर परगना अकबराबाद, तहसील नजीबाबाद, जनपद बिजनौर की बाबत कोई विक्रय विलेख अथवा कोई अन्य विलेख निष्पादित कर

किसी तृतीय पक्ष का हित सृजित न करें न करावें। प्रार्थनापत्र शपथ पत्र ग–7 से समर्थित है।

प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र ग–6 पर आपत्ति ग–29 प्रस्तुत की गयी, जिसमें कथन किया गया है कि वादी ने वाद हाजा मनघडंत तथ्यों के आधार पर दायर करके प्रार्थना पत्र हुक्म इम्तनाई गलत तौर पर खिलाफ कानूनन खिलाफ अधिकार गुजारा है और माननीय न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य रखकर एकपक्षीय व्यादेश का आदेश माननीय न्यायालय से प्राप्त कर लिया है जो किसी भी सूरज में स्थित रहने योग्य नहीं है। वादी का अपने प्रार्थना पत्र हुक्म इम्तनाई में यह कहना कि वादी के पिता श्री रहमतुल्ला अपने सभी लड़कों से समान तौर पर लगाव रखते थे, सरासर गलत व झंठ है। असल बात यह है रहमतुल्ला अपने सभी लड़कों से समान तौर पर लगाव नहीं रखते थे क्योंकि रहमतुल्ला के दो लडके वादी अ0 कय्यूम व मौ0 अय्यूब रहमतुल्ला के कहने में नहीं थी वह दोनों रहमतुल्ला के साथ झगड़ा करते थे तथा इन दोनों का चाल चलन भी सही नहीं था इस बात का उल्लेख रहमतुल्ला ने अपनी इच्छा पत्र रजिस्टर्ड दिनांक 05.02.2003 में भी किया है। वादी का अपने प्रार्थना पत्र हुक्म इम्तनाई में यह कथन करना कि प्रतिवादीगण वादी के सगे भाई हैं, कतई गलत तौर पर तहरीर है। असल में प्रतिवादीगण 1 ता 3 ही वादी के सगे भाई हैं जबकि प्रतिवादी नं0 4 वादी का भाई नहीं है। वादी का यह तहरीर करना कि प्रतिवादीगण ने श्री रहमतुल्ला के द्वारा निष्पादित करायी पंजीकृत वसीयत दिनांकित 05.02.2003 के आधार पर अपने नाम का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में करा लिया। रहमतुल्ला पुत्र करीमुल्ला वादी के सगे पिता थे। नामांतरण वाद के संबंध में वादी के मृतक के सगे पुत्र होने के बावजूद वादी को कोई सूचना किसी प्रकार की नहीं दी गयी, सरासर गलत व झूंठ है। असल बात यह है कि वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 के पिता रहमतुल्ला ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से प्रश्नगत खसरा नं0 168 व खसरा नं0 176 की रजिस्टर्ड वसीयत प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 के पक्ष में दिनांक 05.02.2003 को की थी जिसकी जानकारी वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के दूसरे भाई मौ0 अय्यब को शुरू से ही है, क्योंकि उक्त रजिस्टर्ड वसीयत वादी व मौ0 अय्यूब की सहमति से हुई थी वसीयतकर्ता रहमतुल्ला अपने बडे पुत्र वादी व मौ0 अय्यूब से बेहद नाराज रहते थे, क्योंकि यह दोनों रहमतुल्ला का कहना नहीं मानते थे तथा उनके साथ झगड़ा करते थे उसके बावजूद भी रहमतुल्ला ने प्रश्नगत आराजी के आलावा अपनी अन्य बीस बिघा आराजी काश्त को बेचकर उसकी कुल रकम अपने दो बडे लड़को वादी अ0 कय्यूम व मौ0 अय्यूब को दे दी थी। इस बात का जिक्र रहमतुल्ला ने अपनी रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 05.02.2003 में किया है और प्रश्नगत आराजी जो लगभग 30 बिघा है उसको बजरिये रजिस्टर्ड वसीयत प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 को दे दी थी इस हिसाब से रहतुल्ला के पांच पुत्रों के हिस्से में 10–10 बिघा आराजी आई थी रजिस्टर्ड वसीयत करने के बाद वर्ष 2009 में रहमतुल्ला की मृत्यु हो गयी थी उसके बाद दिनांक 25.11.2009 को रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर राजस्व रिकार्ड में प्रश्नगत आराजी में रहमतुल्ला के स्थान पर प्रतिवादी नं0 1 ता 3 का नाम दर्ज किया गया जिसकी जानकारी भी वादी को भी शुरू से ही थी, परन्तु उस समय वादी ने नामांतरण वाद में कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। दिनांक 25.11.2009 को प्रश्नगत आराजी काश्त में प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 का नाम दर्ज होने के बाद 15

साल व्यतीत हो चुके हैं और प्रतिवादी नं0 1 ता 3 प्रश्नगत आराजी पर तन्हा रूप से बदस्तूर काबिज व दखील होकर काश्त करते चले आ रहे है। इन वर्षों में कभी भी वादी ने उक्त आराज की कभी कोई फर्द न निकाली है यह कैसे संभव है। वादी की वसीयत दिनांक 05.02.2003 की शुरू से ही जानकारी थी तथा रहमतुल्ला की मृत्यु वर्ष 2009 में होने के बाद वसीयत के आधार पर नामांतरण वाद की भी जानकारी थी जिस पर वादी ने कोई आपत्ति उस समय नहीं की थी यदि वादी को कोई आपत्ति होती तो वादी विरासत के आधार पर वाद ला सकता था, परन्तु वाद ने आज तक भी ऐसा नहीं किया। वादी के आचारण से ही यह साबित होता है कि रहमतुल्ला द्वारा प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के पक्ष में प्रश्नगत सम्पत्ति की बाबत दिनांक 05.02.2003 में की गयी रजिस्टर्ड वसीयत पर वादी की स्वीकृत थी जिसमें वादी को मौन स्वीकृति थी जिस कारण दावा वादी मौन स्वीकृति के सिद्धांत से बाधित होने के कारण भी काबिले इखराज है। वादी का यह कथन कि वादी कम पढा लिखा व्यक्ति है तथा अपने भाईयों पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था। वादी के भाईयो ं (प्रतिवादीगण) ने वादी के साथ विश्वातघत किया तथा अपना नाम तथाकथित वसीयत के आधार पर दर्ज करा लिया, सरासर गलत व झूंठ है। जबकि सत्यता यह है कि प्रतिवादी नं0 1 ता 3 ने कभी भी वादी के साथ कोई विश्वासघात नहीं किया है वादी एक चालक किस्म का व्यक्ति है जिसने नफा नाजायज कमाने के लिए झूठे तथ्य लिखकर वाद हाजा दायर किया है जिसको वसीयत दिनांक 05.02.2003 की जानकारी शुरू से ही जिस पर वादी ने पिछले 22 वर्षों से कोई आपत्ति नहीं की है। वादी के अलावा भी एक अन्य भाई मौ0 अय्यूब उसको भी वसीयत की जानकारी शुरू से ही है परन्तु उसने आज तक भी रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 05.02.2003 पर या उसके आधार पर प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के नामांतरण पर कभी कोई आपत्ति नहीं की जिस कारण वादी का यह कहना कि प्रतिवादी नं0 1 ता 3 ने वादी के साथ विश्वासघात करके वसीयत के आधार पर अपना नाम दर्ज करा लिया हो, कतई गलत है। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने प्रश्नगत आराजी की बात प्रतिवादी नं0 4 के पक्ष में अपनी आराजी को विक्रय करने के लिए एक एग्रीमैन्ट दिनांक 07.12.2021 को तहरीर किया था जिसके आधार पर प्रतिवादी नं0 1 ता 3 ने एक बैनामा खसरा नं0 168 रकबई 1.2200 है0 आराजी का रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 05.09.2023 को प्रतिवादी नं0 4 व अन्य के पक्ष में रजिस्टरी कर दिया जिस पर प्रतिवादी नं0 4 व अन्य व्यक्ति काबिज व दखील होकर काश्त कर रहे हैं। वादी का प्रश्नगत आराजी के किसी भी हिस्से पर कोई कब्जा व दखल कभी नहीं रहा तथा न ही अब वर्तमान में है वादी गैर काबिज जायदाद है। प्रतिवादी नं0 1 ता 3 प्रश्नगत आराजी के एब्सल्यूट ऑनर है और उन्हें अपनी आराजी को विक्रय करने अथवा खुर्द बुर्द करने आदि के समस्त अधिकार हासिल है। वादी को कोई अधिकार किसी किस्म का प्रश्नगत सम्पत्ति में हासिल नहीं है तथा न ही उनका कोई हक व हिस्सा प्रश्नगत आराजी में है। वादी का कथन करना कि वादी ने जब उक्त आराजी की फर्द खतौनी दिनांक 02.05.2024 को प्राप्त की तो उसका नाम फर्द खतौनी पर नहीं था। उसके बाद वादी ने राजस्व अभिलेखागार में निरीक्षण कराया तो दिनांक 01.06.2024 को फसली वर्ष 1417–1422 की फर्द खतौनी की प्रतिलिपि मिलने पर पता चला कि दिनांक 25.11.2009 को किसी वसीयत के आधार पर रहमतुल्ला पुत्र करीमुल्ला के स्थान पर

प्रार्थी के भाईयों प्रतिवादीगण का नाम दर्ज करा दिया गया है, इससे पूर्व वादी को इस आदेश की जानकारी किसी प्रकार की नहीं थी, सरासर गलत व झूंठ है। असल बात यह है कि वादी को रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 05.02.2003 की तथा उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के दिनांक 25.11.2009 को नामांतरण की पूर्ण जानकारी शुरू से ही है। वादी ने अपने वाद पत्र के पैरा नं0 6 में समस्त कथन गलत तौर पर मुकदमें को रंग देने की गरज से लिखे हैं, जो स्वीकार नहीं हैं। वादी का कथन करना कि वादी ने एकपक्षीय आदेश दिनांक 25. 11.2009 को रेस्टोर कराने के लिए न्यायालय नायब तहसीलदार अकबराबाद में वाद योजित कर रखा है। इस वाद की जानकारी होने पर प्रतिवादीगण उक्त आराजी को किसी तृतीय पक्ष को बेचकर उसका कब्जा कराना चाहते हैं, सरासर गलत व झूंठ है। असल बात यह है कि वादी ने कोई रेस्टोरेशन आदेश दिनांक 25. 11.2009 को रेस्टोर कराने के लिए न्यायालय नायब तहसीलदार अकबराबाद के यहां योजित नहीं किया है। वादी ने कोई प्रमाणित प्रतिलिपि उक्त पत्रावली में दाखिल नहीं की है। प्रतिवादीगण इस बारे में वादी को पुट टू प्रूफ रखते हैं। प्रतिवादी नं0 1 ता 3 ने प्रश्नगत खसरा नं0 168 रकबई 1.2200 है0 का बैनामा प्रतिवादी नं0 4 व अन्य के पक्ष में दिनांक 05.09.2023 को रजिस्टरी कर दिया जिस पर क्रेता का कब्जा व दखल मौके पर है। वादी का कोई कब्जा प्रश्नगत आराजी पर नहीं है। रहमतुल्ला ने वसीयत दिनांक 05.02.2003 अपने पूर्ण होशो हवास व अपनी स्वतंत्र इच्छा से तथा वादी व एक अन्य भाई मौ0 अय्यूब की सहमति से तहरीर करके रजिस्टरी करायी थी। उक्त वसीयत में रहमतुल्ला ने अपने पांचों लड़कों का उल्लेख किया है जिसमें रहमतुल्ला ने अपनी अन्य बीस बिघा आराजी विक्रय करके उसकी पूर्ण रकम अपने बड़े दोनों लड़के वादी अ0 कय्यूम व मौ0 अय्यूब को दे दी थी जब कि उनके बड़े दोनों लड़के रहमतुल्ला के साथ अभद्र व्यवहार करते थे तथा उनका कहना नहीं मानते थे। उक्त वसीयत के आधार पर नामान्तरण वाद में वसीयत के गवाहों ने वसीयत को पूरी तरह साबित किया है गवाहों ने वसीयत को वसीयतकर्ता द्वारा उसकी पूर्ण स्वतंत्रता व सहमति तथा अपने पूरे होशो हवास में होना बताया है जिस कारण वसीयत को वादी द्वारा संदिग्ध बताना कतई गलत तौर पर तहरीर किया गया है। कानूनी तौर पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 61 व 63 तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 में यह कहा गया है कि वसीयत को दो या दो से अधिक गवाहों द्वारा सत्यापति किया जाना चाहिए जिनमें से प्रत्येक गवाह ने वसीयतकर्ता को वसीयत पर अपने हस्ताक्षर करते हुए या चिन्ह लगाते हुए देखा हो तथा प्रत्येक गवाह ने वसीयत पर वसीयतकर्ता की उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर किये हो तथा वसीयतकर्ता ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से वसीयत निष्पादित करायी है तथा कम से कम एक गवाह द्वारा वसीयत को प्रमाणित कराया हो इसमें यह कहीं नहीं है कि वसीयत के गवाह कोई करीबी रिश्तेदार न हो वैसे भी वसीयत के गवाहों द्वारा वसीयत को पूर्ण रूप से साबित किया है तथा वसीयतकर्ता ने वसीयत को अपने पूरे होशो हवास व स्वतंत्र इच्छा से निष्पादित कराया है। असल में वसीयत रहमतुल्ला ने वसीयत को अपनी स्वतंत्र इच्छा से निष्पादित करायी थी तथा वसीयतकर्ता वसीयत लिखने के समय पूर्ण रूप से स्वस्थ थे तथा अपना अच्छा बुरा सोचने व समझने में पूरी तरह समक्ष थे। वादी का वसीयत के समय रहमतुल्ला को बीमार कहना कतई गलत व झूंठ है

प्रतिवादीगण इस बारे में वादी को पुट टू प्रूफ रखते हैं। एक मुस्लिम अपनी पूर्ण सम्पत्ति की वसीयत कर सकता है यदि वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद उसके अन्य उत्तराधिकारी वसीयत पर अपनी सहमति दे दें और वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत की गयी सम्पत्ति पर वसीयत जिसके पक्ष में की गयी है, को कब्जा करने में सहमति देते हैं तो इसे पूर्ण सहमति माना जाता है इसके अलावा यदि वारिस बहुत लम्बे समय तक वसीयत पर सवाल नहीं उठाते हैं और वसीयत ग्रहीता सम्पत्ति का आनंद लेते हैं तो वारिसों का आचरण सहमति के बराबर होगा यहां यह बात भी उल्लेखनीय है कि उक्त वसीयत निष्पादित हुए 22 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं तथा वसीयत के आधार पर प्रतिवादी नं0 1 ता 3 का नामांतरण हुए भी लगभग 15 वर्ष व्यतीत हो चुका है जो एक लम्बा समय व्यतीत हो चुका है जिस कारण अन्य वारिसों की कानूनन सहमति मान लिया जायेगा। जबकि प्रश्नगत सम्पत्ति के अलावा भी वसीयतकर्ता के पास अन्य सम्पत्ति भी थी। वसीयतकर्ता ने अपनी पूर्ण सम्पत्ति की वसीयत नहीं की थी। ऐसी स्थिति में वसीयत दिनांक 05.02.2003 एक वैध दस्तावेज है तथा मुस्लिम विधि के प्रावधानों से बाधित नहीं है। वादी ने प्रतिवादीगण से कभी भी वसीयत को मंसूख कराने की बाबत कभी नहीं कहा है समस्त कथन पैरा नं0 12 कतई गलत तौर पर तहरीर किये गये हैं। प्रश्नगत खसरा नम्बर 176 रकबई 1.250 है0 में से 0.0461 है0 भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग में अधिग्रहित की गयी है जिसका मुआयजा भी प्रतिवादी नं0 1 ता 3 को प्रापत हुआ उस समय भी वादी ने कोई एतराज नहीं किया जिस कारण भी वसीयत दिनांक 05.02.2003 पर वादी की सहमति न होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रश्नगत सम्पत्ति के विषय में एक वाद सं0 480/2018 बाबत तकसीम माननीय परगनाधिकारी नजीबाबाद के न्यायालय में प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के बीच चला था जिसमें दिनांक 28.12.2019 को प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के कुर्रे अलग अलग स्वीकार किये गये जिसकी भी जानकारी वादी को शुरू से थी परन्तु उस समय भी वादी ने आज तक कोई आपत्ति नहीं की जिस कारण प्रार्थना पत्र ग6 मिनजानिब वादी धारा 116, 117 रेवेन्यू कोड 2006 से बाधित होने के कारण निरस्त होने योग्य है। वसीसत निष्पादित हुए 22 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं तथा वसीसत दिनांक 05.02.2003 के आधार पर प्रतिवादी नं0 1 ता 3 का नामांतरण हुए भी 15 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं जिस कारण वादी का वाद कालबाधित है। प्रश्नगत आराजी काश्त में वादी काश्तकार के रूप में दर्ज नहीं है। वादी के कथनानुसार वादी स्वीकार करता है कि प्रश्नगत भूमि एक कृषि भूमि है। वादी का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है। वर्तमान मामले में वादी कृषि भूमि के संबंध में घोषणा की मांग कर रहा है और राजस्व रिकॉर्ड में एक प्रविष्टि होने का दावा कर रहा है। इस तरह वाद को धारा 206(2)ए द्वारा यू0पी0 आर0सी0 2006 की धारा 144 के साथ पढा जाता है राजस्व संहिता 2006 इन परिस्थितियों में माननीय सिविल न्यायालय के पास उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड की धारा 144 के तहत विलेख को रद्द करने के बाद सुनने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। वसीयत दिनांक 05.02.2003 को तहरीर हुए बीस वर्ष से ज्यादा समय व्यतीत हो चुका है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के तहत यदि कोई डाक्यूमैन्ट को तहरीर हुए 20 वर्ष व्यतीत हो गये हैं और 20 वर्ष के दौरान कोई आपत्ति न की गयी हो तो वह डाक्यूमैंट सही मान लिया जायेगा इस दौरान वादी ने कोई आपत्ति नहीं की। वादी ने माननीय न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य रखकर

एकपक्षीय व्यादेश का आदेश प्राप्त कर लिया है और वह उक्त व्यादेश के आदेश के आधार पर प्रतिवादीगण की आराजी काश्त पर कब्जा करने की फिराक में है। वादी चूंकि झगड़ालू तथा पैसे वाला ताकतवर व्यक्ति है जबकि प्रतिवादीगण साधे सादे लोग है। वादी प्रतिवादीगण को धौंस दे रहा है कि या तो प्रश्नगत आराजी पर से अपना कब्जा हटा ले नहीं तो वह अपने ताकत के बल पर प्रश्नगत आराजी पर कब्जा कर लेगा। वादी अपने केस को साबित करने में पूरी तरह असफल रहा है। वादी का कोई कब्जा व दखल हक व हिस्सा प्रश्नगत आराजी में नहीं है तथा वाद का कोई प्राइमा फेसाई केस भी नहीं है तथा बैलेन्य ऑफ कन्सवीनियन्स भी वादी के हक में नहीं है। प्रतिवादीगण का प्राइमा फेसाई केस है प्रश्नगत सम्पत्ति पर यथास्थिति का आदेश जारी रहने से प्रतिवादीगण के अधिकारों पर कुप्रभाव पड़ने की प्रबल संभावना बनी हुई है। वादी प्रतिवादीगण की सम्पत्ति पर कब्जा करने की फिराक में है। यदि वादी अपने नापाक मकसद में कामयाब हो गया तो प्रतिवादीगण का लातलाफी नुकसान होगा जिसकी भरपाई किसी भी तरह न हो सकेगी। जबकि एकपक्षीय व्यादेश का आदेश निरस्त होने से वादी की कोई हानि नहीं है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त वाद में एकपक्षीय व्यादेश का आदेश दिनांक 25.07.2024 को वैकेट करके प्रार्थना पत्र हुक्म इम्तनाई मिनजानिब वादी उपरोक्त आधार पर सव्यय निरस्त होने योग्य है।

वादी की ओर से प्रार्थना पत्र ग–6 के समर्थन में सूची ग–10 के माध्यम से फर्द खतौनी फसली वर्ष 1417–1422 ग–10, छायाप्रति वसीयत ग–11, प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन की प्रति ग–12, फर्द खतौनी ग–13 व फर्द खतौनी ग–14 दाखिल की गयी है।

प्रतिवादीगण की ओर से अपने कथनों के समर्थन में कोई प्रलेखीय साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु निम्न बिन्दु विचारणीय हैः–

1– क्या प्रथम दृष्टया प्रकरण वादी के पक्ष में है ?

2– क्या सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष में है ?

3– क्या अस्थाई निषेधाज्ञा जारी न किये जाने की दशा में वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी ?

<u>बिन्दु सं01 का सकारण निष्कर्षः</u>–

प्रथम दृष्टया मामलें के लिए यह आवश्यक है कि वादी का ऐसा स्थापित मामला अस्थाई निषेधाज्ञा का होना चाहिए जिससे जॉच के लिए विचारणीय प्रश्न निहित हो, जो साक्ष्य लेकर ही तय हो सकता हो और जिसमें वादी के सफल होने की प्रबल सम्भावना हो।

वादी ने अपने वाद पत्र के पैरा नं0 1 में यह अभिकथन किया है कि आराजी भूमिधरी के मालिक काबिज वादी व प्रतिवादीगण के पिता श्री रहमतुल्ला थे तथा पैरा नं0 3 में यह अभिकथन किया है कि प्रतिवादीगण वादी के सगे भाई हैं। प्रतिवादीगण ने श्री रहमतुल्ला के निष्पादित दर्शायी वसीयत दिनांक 05.02.2003 के आधार पर अपने नाम का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में करा लिया है। पैरा नं0 4 में यह अभिकथन किया है कि रहमतुल्ला पुत्र करीमुल्ला वादी के सगे पिता थे। नामांतरण वाद के संबंध में वादी के मृतक के सगे पुत्र होने के बावजूद वादी को कोई सूचना किसी प्रकार की नहीं दी गयी। वादी के भाईयों ने वादी के साथ

विश्वासघात किया तथा अपना नाम तथाकथित वसीयत के आधार पर दर्ज करा लिया। पैरा नं0 6 में अभिकथन किया है कि वादी ने जब उक्त आराजी की फर्द खतौनी दिनांक 02.05.2024 को प्राप्त की तो उसका नाम फर्द खतौनी पर नहीं था, उसके बाद वादी ने राजस्व अभिलेखागार में निरीक्षण कराया तो दिनांक 01.06. 2024 को फसली वर्ष 1417–1422 की फर्द खतौती की प्रतिलिपि मिलने पर पता चला कि दिनांक 25.11.2009 को किसी वसीयत के आधार पर रहमतुल्ला पुत्र करीमुल्ला के स्थान पर प्रार्थी के भाईयों प्रतिवादीगण का नाम दर्ज कर दिया गया है। पैरा नं0 7 में अभिकथन किया है कि वादी ने एकपक्षीय आदेश दिनांक 25.11. 2009 को रेस्टोर कराने के लिए न्यायालय नायब तहसीलदार अकबराबाद वाद योजित कर रखा है। पैरा नं0 8 में अभिकथन किया है कि तथाकथित वसीयत एक जाली व फर्जी दस्तावेज है, जो हरगिज रहमतुल्ला द्वारा होशोहवास एवं स्वतंत्र सहमति से निष्पादित नहीं की गयी है। तथाकथित वसीयत इसी आधार पर संदिग्ध है कि इस दस्तावेज में वादी अथवा अन्य वारिसान का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अन्य वारिसान का उल्लेख न करना तथाकथित वसीयत को संदिग्ध बनाता है। पैरा नं0 10 में अभिकथन किया है कि तथाकथित वसीयत गवाह्न तथा लेखक से हमसाज होकर तैयार करायी गयी है जिसमें रहमतुल्ला की कोई सहमति या इच्छा नहीं थी, क्योंकि वृद्धावस्था एवं बीमारी के कारण वह अच्छा व बुरा नहीं सोच सकते थे।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से यह विदित है कि वादी ने अपने वाद पत्र के पैरा नं0 8 में अभिकथित कथन के समर्थन में कोई ऐसा साक्ष्य न्यायालय के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके उक्त वसीयत जली एवं फर्जी दस्तावेज है तथा स्वतंत्र सहमति से निष्पादित नहीं की गयी है। इस दस्तावेज में वादी अथवा अन्य वारिसान का नाम उल्लेख न होने से उक्त वसीयत संदिग्ध नहीं मानी जा सकती है तथा यह साक्ष्य का विषय है कि उक्त वसीयत जाली एवं फर्जी है, पत्रावली पर वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। वादी ने अपने वाद पत्र के पैरा नं0 7 में अभिकथित कथन के समर्थन में ऐसा कोई प्रमाणित प्रपत्र एकपक्षीय आदेश दिनांक 25.11.2009 रेस्टोरेशन के बाबत दाखिल नहीं किया है जिससे वादी के कथनों को बल प्रदान होता है। वादी ने अपने वाद पत्र के पैरा नं0 10 के अभिकथन के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है जिससे उसके अभिकथनों को बल प्रदान होता हो। कोई भी वसीयत कह देने मात्र से जाली एवं फर्जी नहीं हो जाती है जब तक उसे दस्तावेजी साक्ष्य से साबित न किये जाये।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्थाओं के अनुसार वादी अपना प्रथम दृष्टया केस साबित करने में असफल रहे हैं।

जब वादी का प्रथम दृष्टया केस ही स्थापित नहीं है तो उपरोक्त अन्य दो बिन्दुओं पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है।

माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था काशीमठ संस्थान बनाम श्रीमद सुधीन्द्र तीरथ स्वामी ए0आई0आर0 2010 सुप्रीम कोर्ट 2016 भी प्रसांगिक है जिसके अनुसार जहां पर वादी अपना प्रथम दृष्टया केस साबित करने में असफल

रहा है वहां पर न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक अन्य बिन्दुओं के विषय में विश्लेषण करना आवश्यक नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवादी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश निर्गत किया जाना विधिसंगत नहीं होगा। वादी की ओर प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र ग–6 खारिज किये जाने योग्य है तथा आपत्ति कागज सं0 ग–29 तद्नुसार निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र ग–6 खारिज किया जाता है तथा आपत्ति ग–29 तद्नुसार निस्तारित की जाती है। पत्रावली वास्ते वाद बिन्दु विरचन हेतु दिनांक 06.05.2025 को पेश हो।

प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र ग–20 अन्तर्गत आदेश–39 नियम–4 प्रस्तुत किया गया है। चूंकि प्रार्थना पत्र ग–6 का निस्तारण हो चुका है। ऐसे में प्रार्थना पत्र ग–20 स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाता है। अतः प्रार्थना पत्र ग–20 निस्तारित किया जाता है, तद्नुसार आपत्ति ग–24 निस्तारित की जाती है।

(एकलव्य सरोज)
सिविल जज (जू0डि0) नजीबाबाद
जिला बिजनौर।